AADHAAR

DAINIK JAGRAN, Delhi, 3.8.2018

Page No. 14, Size:(8.35)cms X (13.31)cms.

यूआइडीएआइ आधार पर पता बदलना आसान करेगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार (यूआइडीएआइ) अगले साल अप्रैल से नई सेवा शुरू करने जा रहा है जिससे आधार कार्ड धारकों को अपना पता अपडेट करने में मदद मिलेगी। अभी पता बदलने की स्थिति में कार्ड धारकों को परेशानी होती है क्योंकि उनके पास वर्तमान आवासीय पता का कोई वैध सुबूत नहीं होता है। नई सेवा के बाद गोपनीय पिन वाले पत्र की मदद से कार्ड धारक अपना पता अपडेट कर सकेंगे।

यूआइडीएआइ की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है, 'ऐसे लोग जिनके पास वैध एड्रेस प्रूफ नहीं है, वे गोपनीय पिन पत्र के जरिये पता सत्यापन का आग्रह कर सकते हैं। पत्र प्राप्त करने के बाद उस पिन के जरिये एसएसयूपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वे पता अपडेट कर सकते हैं।' आमतौर पर किराए के घरों में रहने वाले और प्रवासी मजदूरों को पता अपडेट कराने में दिक्कत होती है। इस वजह से वे आधार के जरिये मिलने वाली सेवाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं।

एक अप्रैल 2019 से लागू होने जा रही नई प्रणाली के तहत, आधार कार्डधारक यूआइडीएआइ वेबसाइट के जरिये 'गोपनीय पिन वाले आधार पत्र' के लिए आग्रह कर सकते हैं। सेवा शुरू करने से पहले एक पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जा सकता है।

कार्ड धारक नई सेवा के बाद गोपनीय पिन वाले पत्र की मदद से अपना पता अपडेट कर सकेंगे

क्या है मौजूदा व्यवस्था

वर्तमान में पता (पंजीकरण या अपडेट) के लिए फार्म भरने के साथ पासपोर्ट, बैंक पासबुक, वोटर आइडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट, मैरिज सर्टिफिकेट जैसे 35 दस्तावेजों में से कोई एक सुबूत के तौर पर देना होता है।